संख्या-43/2015/वे0आ0-2-711/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2015

विषय- जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भाँति पौष्टिक आहार भत्ता/राशन भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भाँति पौष्टिक आहार भत्ता/राशन भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 09 जुलाई, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-43/2015/वे0आ0-2-711(1)/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भॉति पौष्टिक आहार भत्ता/ राशन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2015 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(2) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य

(3) श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, कारागार विभाग — सदस्य

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग — सदस्य सचिव

2— प्रशासकीय विभाग द्वारा जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भॉति पौष्टिक आहार भत्ता/राशन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :—

क0 सं0	पदनाम	पौष्टिक भत्ते की प्रस्तावित दर (रु0 प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)
1	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार, उप कारापाल एवं लिपिकीय संवर्ग	600/—
2	बन्दी रक्षक संवर्ग	750/—
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	650/—

3— समिति को जेल कर्मियों को पुलिस विभाग के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव के क्रम में निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह (पुलिस) अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—2826/छः—पु—1—11—151/09, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पौष्टिक आहार भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुमन्य है :—

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता (रु0 प्रतिमाह)	संशोधित पौष्टिक आहार भत्ता (रु0 प्रतिमाह)
(1)	(2)		(3)
1	अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग	550/—	600/—
2	हेड कान्स्टेबल/कान्स्टेबल	700/—	750/—
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	600/—	650/—

(2) प्रशासकीय विभाग द्वारा जेल कार्मिकों को पुलिस बल के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने पर वार्षिक व्यय–भार रु0 8.13 करोड़ बताया गया है जिसका आगणन निम्नवत् आगणित किया गया है :––

क0 सं0	पदनाम	दर	कुल पदों की संख्या	एक माह का व्ययभार	पूरे वर्ष का व्ययभार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वरिष्ठ अधीक्षक	600/–	21	12,600/–	1,51,200/–
2	अधीक्षक	600/–	64	38,400/–	46,08,00/–
3	कारापाल	600/–	87	52,200/–	62,64,00/–
4	उप कारापाल	600/–	448	2,68,800/–	32,25,600/–
5	प्रधान बंदीरक्षक	750/–	1230	9,22,500/–	1,10,70,000/–
6	बंदीरक्षक	750/–	6846	51,34,500/–	61,61,400/–
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	650/–	531	3,45,150/–	41,41,800/–
	कुल व्ययभार			67,74,150/–	8,12,89,800/–

(3) प्रशासकीय विभाग द्वारा जेल कर्मियों को पुलिस बल के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने का आधार यह बताया गया है कि कारागार विभाग के कर्मियों की ड्यूटी कठिन एवं दुरूह है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि कई अन्य राज्यों यथा– राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों के साथ–साथ जेल कर्मियों को भी आहार भत्ता/मेस एलाउन्स अनुमन्य है।

4– <u>समिति की संवीक्षा–</u>

प्रशासकीय विभाग द्वारा बतायी गयी स्थिति तथा वित्त विभाग द्वारा बतायी गयी तथ्यात्मक स्थिति के क्रम में समिति की संवीक्षा निम्नवत् है :––

(1) वर्तमान में जेल कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता देय नहीं है। पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने हेतु नयी व्यवस्था की जानी होगी।

(2) राज्य में वर्तमान में पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कर्मियों जिनके द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य, जिनमें पुलिस बल की भॉति कार्य सम्मिलित है, किया जाता है, को पौष्टिक आहार भत्ता देय नहीं है। इनमें जेल कार्मिक भी सम्मिलित हैं। प्रशासकीय विभाग द्वारा बताये जा रहे दुरूह कार्य एवं उत्तरदायित्व के आधार पर यदि जेल कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता स्वीकृत किया जाता है तो अन्य विभागों के कार्मिकों जिनके द्वारा विभाग से सम्बन्धित कार्य जिसमें पुलिस बल की भॉति कार्य सम्मिलित है, करने वाले कार्मिकों द्वारा भी पौष्टिक आहार भत्ता की मॉग की जायेगी। इस प्रकार के कार्मिकों में होमगार्डस विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन प्रवर्तन से सम्बन्धित पुलिस बल तथा वन विभाग आदि के कार्मिक सम्मिलित हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियॉ निकट भविष्य में प्राप्त होना सम्भावित है। ऐसी स्थिति में समिति जेल कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता के सम्बन्ध में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों

के कम में राज्य कर्मचारियों के अन्य प्रकरणों के साथ विचार करने के पक्ष में है।

5– समिति की संस्तुतियॉ –

बैठक में हुए विचार–विमर्श के कम में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :—

"जेल कर्मियों को पुलिस बल के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राज्य कर्मचारियों के अन्य प्रकरणों के साथ विचार किया जाये।"

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
वित्त।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव,
कार्मिक।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,
कारागार विभाग।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।